संख्या–51/अड़सठ–3–2020–472/2008

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2020

विषयः–प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राजकीय/परिषदीय/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन–कम–स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकरण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/सा0/2864/2019–20 दिनांक 07.01.2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत परिषदीय/प्राथमिक, उच्च प्राथमिक (जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर से पृथक हैं) एवं राजकीय (बेसिक/माध्यमिक/स्थायी निकाय के विद्यालयों में कुल–301 किचेन–कम–स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकरण हेतु जनपदों की आवश्यकतानुसार रू0–1.19 लाख (एक लाख उन्नीस हजार) प्रति इकाई के अनुसार 60:40 के अनुपात में (केन्द्रांश रू0 214.914 लाख एवं राज्यांश रू0 143.276) अर्थात कुल रू0 358.19 लाख (तीन करोड़ अटठावन लाख उन्नीस हजार मात्र) (संलग्न सूची अनुसार) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त विभाग (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–22.03.2019 में निहित उपबन्धों/शर्तों तथा प्रश्नगत योजना के गाइडलाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

3– इस मद में पूर्व में निर्गत एवं प्रश्नगत निर्गत की जा रही समस्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

4– किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृति धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय किया जायेगा।

6– इस धनराशि के लेखा के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

8– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01– केन्द्रीय द्वारा प्रयोजित योजनायें–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60/ रा.40–के.+रा.) – 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–यू0ओ0–ई–11–133/दस–2020 दिनांक–03 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Edu-3. budget. 2019

संख्या–51(1)/अड़सठ–3–2020–472/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।

2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3– श्रमायुक्त, कानपुर।

4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।

5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।

6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।

10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।

11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।

13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।

14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।

15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव ।

संख्या–51/अड़सठ–3–2020–472/2008

प्रेषक,

आर0 वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2020

विषयः–प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राजकीय/परिषदीय/प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन–कम–स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकरण हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/सा0/2864/2019–20 दिनांक 07.01.2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत परिषदीय/प्राथमिक, उच्च प्राथमिक (जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर से पृथक हैं) एवं राजकीय (बेसिक/माध्यमिक/स्थायी निकाय के विद्यालयों में कुल–301 किचेन–कम–स्टोर निर्माण/किचेन विस्तारीकरण हेतु जनपदों की आवश्यकतानुसार रू0–1.19 लाख (एक लाख उन्नीस हजार) प्रति इकाई के अनुसार 60:40 के अनुपात में (केन्द्रांश रू0 214.914 लाख एवं राज्यांश रू0 143.276) अर्थात कुल रू0 358.19 लाख (तीन करोड़ अटठावन लाख उन्नीस हजार मात्र) (संलग्न सूची अनुसार) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

SAl
AIC
7/02/2020

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त विभाग (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–22.03.2019 में निहित उपबन्धों/शर्तों तथा प्रश्नगत योजना के गाइडलाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

3– इस मद में पूर्व में निर्गत एवं प्रश्नगत निर्गत की जा रही समस्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

4– किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृति धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय किया जायेगा।

6– इस धनराशि के लेखा के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

8– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01– केन्द्रीय द्वारा प्रयोजित योजनायें–0103–कुकिंग लागत आदि (के.60/ रा.40–के.+रा.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय सं0–यू0ओ0–ई–11–133/दस–2020 दिनांक–03 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आर0 वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Edu-3. budget. 2019

संख्या–51(1)/अड़सठ–3–2020–472/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।

2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3– श्रमायुक्त, कानपुर।

4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।

5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।

6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।

10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।

11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।

13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।

14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।

15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

/

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव ।

MID DAY MEAL AUTHORITY, U.P.

Requirement of Kitchen-Cum-Store 2019-20

(Rs. In Lakh)

S.N.	Districts	Requirement of No. Of Kitchen-Cum-Store				Requirement of Funds @ Rs. 1,19,000/- (CS: Rs. 71,400/-, SS: Rs. 47,600/-)		
		PS	UPS	Govt.	Total	Central	State	Total
	TOTAL	**41**	**228**	**32**	**301**	**214.91400**	**143.27600**	**358.19000**
1	01-AGRA	0	25	0	**25**	17.85000	11.90000	**29.75000**
2	03-ALLAHABAD	0	0	4	**4**	2.85600	1.90400	**4.76000**
3	06-AZAMGARH	12	0	0	**12**	8.56800	5.71200	**14.28000**
4	07-BADAUN	0	0	3	**3**	2.14200	1.42800	**3.57000**
5	09-BAHRAICH	0	0	2	**2**	1.42800	0.95200	**2.38000**
6	13-BARABANKI	0	0	4	**4**	2.85600	1.90400	**4.76000**
7	15-BASTI	0	24	0	**24**	17.13600	11.42400	**28.56000**
8	23-ETAH	0	0	6	**6**	4.28400	2.85600	**7.14000**
9	24-FAIZABAD	9	10	0	**19**	13.56600	9.04400	**22.61000**
10	27-FIROZABAD	0	80	0	**80**	57.12000	38.08000	**95.20000**
11	30-GHAZIYABAD	2	0	2	**4**	2.85600	1.90400	**4.76000**
12	32-GORAKHPUR	0	1	0	**1**	0.71400	0.47600	**1.19000**
13	33-HAMEERPUR	1	0	1	**2**	1.42800	0.95200	**2.38000**
14	36-ITAWAH	0	0	1	**1**	0.71400	0.47600	**1.19000**
15	37-J.P. NAGAR	0	0	1	**1**	0.71400	0.47600	**1.19000**
16	42-KANPUR DEHAT	0	0	2	**2**	1.42800	0.95200	**2.38000**
17	43-KANPUR NAGAR	1	7	0	**8**	5.71200	3.80800	**9.52000**
18	50-MAHOBA	13	0	0	**13**	9.28200	6.18800	**15.47000**
19	55-MEERUT	0	7	0	**7**	4.99800	3.33200	**8.33000**
20	60-PRATAPGARH	3	16	0	**19**	13.56600	9.04400	**22.61000**
21	64-SANTKABIR NAGAR	0	47	0	**47**	33.55800	22.37200	**55.93000**
22	65-SHAHJAHANPUR	0	0	1	**1**	0.71400	0.47600	**1.19000**
23	67-SIDDHARTHNAGAR	0	0	2	**2**	1.42800	0.95200	**2.38000**
24	70-SULTANPUR	0	11	3	**14**	9.99600	6.66400	**16.66000**

15/01.2020

(शैलेश कुमार तिवारी)
अनुभाग अधिकारी
बेसिक शिक्षा अनुभाग-3
उ०प्र० शासन

MUMTAZ AHMAD
FINANCE CONTROLLER
MID DAY MEAL AUTHORITY, U.P.
LUCKNOW

(कामता प्रसाद सिंह)
उप सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन